रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220142
CG-DL-E-24062020-220142

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1799] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942
No. 1799] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

का.आ. 2025(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, असम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, असम कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री प्रदुयुत कुमार चौधरी -अध्यक्ष;
 मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त), लोक निर्माण विभाग (भवन),
 असम 52, असम पुलिस मुख्यालय परिसर के पीछे,
 रेहाबारी, गुवाहाटी-781002, असम
2. डा. हरिप्रसाद सरमा -सदस्य;
 आचार्य और विभाग प्रमुख पर्यावरण विज्ञान विभाग,
 गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी -781030, असम
3. सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, -सदस्य-सचिव ।
 असम सरकार दिसपुर, गुवाहाटी-781006, असम ।

2. प्राधिकरण, असम के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि

के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, असम ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

4. प्राधिकरण, असम इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन असम राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, असम को सहायता करने के प्रयोजन के लिए असम राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1. श्री स्वपन कुमार सील सरमा, -अध्यक्ष;
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त)
हा.सं. 34, गोपाल कृष्ण पथ, हेनग्राबाड़ी
गुवाहाटी, जिला कामरूप (मेट्रो) पो.आ. दिसपुर,
गुवाहाटी- 781036, असम

2. श्री सर्वेश्वर कलिता, -सदस्य;
हा.सं. 4 ए के देव रोड, बाईलेन-मुचीरम कचारी पथ, बकुल पथ
दातालपारा, नतून बस्ती, गुवाहाटी– 781025, असम

3. डा. भगवत प्राण दुआरा, -सदस्य;
आचार्य, भूगर्भीय विज्ञान विभाग,
गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, 781014, असम

4. श्री सरत फूकन, आचार्य, भूगर्भीय विज्ञान विभाग, -सदस्य;
गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी-781014, असम

5. प्रो. प्रसांत कुमार सैकिया, -सदस्य;
क्वार्टर सं. 69, गुवाहाटी विश्वविद्यालय कैम्पस
गुवाहाटी-781014, असम

6. डा. गजेन चंद्र सरमा, -सदस्य;
हाउस सं. 53, बकुल पथ, एनएच-37, जलुकबाड़ी
गुवाहाटी-781014, असम

7. श्री रातुल महंत, -सदस्य;
अर्थशास्त्र विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय,
गुवाहाटी-781014, असम

8. प्रो. कौशल कुमार बरूआ -सदस्य;
पर्यावरणीय विज्ञान विभाग,
तेजपुर (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय,
तेजपुर- 784028, असम

9. सदस्य सचिव, -सचिव।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम

IndiaCode

6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. असम सरकार, प्राधिकरण, असम और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, असम के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता असम सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होंगे ।

[फा. सं. जे-11013/3/2007-आई.ए.II(I)]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

S.O. 2025(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (herein after referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Assam (herein after referred to as the Authority, Assam) comprising of the following Members, namely: -

1. Sri Pradyut Kumar Choudhury, -Chairman;
 Chief Engineer (Retired), Public Works Department (Bldg), Assam
 52, Behind Assam Police Headquarter Complex, Rehabari, Guwahati
 - 781008, Assam

2. Dr. Hari Prasad Sarma, -Member;
 Prof. and Head of Department,
 Environmental Sciences Department
 Gauhati University, Guwahati - 781014, Assam

3. Secretary to the Government of Assam -Member-Secretary.
 Environment and Forest Department
 Dispur, Guwahati - 781006, Assam

2. The Chairman and Members of the Authority, Assam shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Assam shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Assam shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Assam.

5. For the purposes of assisting the Authority, Assam, the Central Government in consultation with the State Government of Assam, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Assam comprising of the following Members, namely:-

1.	Shri Swapan Kumar Seal Sarma, Indian Forest Service (Retired), H.No. 34, Gopal Krishna Path, Hengrabari, Guwahati District Kamrup (Metro) P.O. Dispur, Guwahati - 781036, Assam	-Chairman;
2.	Shri Sarbeswar Kalita, House No. 4, A K Dev Road, Bylane- Muchiram Kachari path, Bakul Path Datalpara, Natun Basti, Guwahati - 781025, Assam	-Member;
3.	Dr. Bhagawat Pran Duarah, Professor, Department of Geological Sciences, Gauhati University, Guwahati - 781014, Assam	-Member;
4.	Shri Sarat Phukan, Professor, Department of Geological Sciences, Gauhati University, Guwahati - 781014, Assam	-Member;
5.	Prof. Prasanta Kumar Saikia, Quarter No. 69, Gauhati University Campus, Guwahati - 781014, Assam.	-Member;
6.	Dr. Gajen Chandra Sarma, House No. 53, Bakul Path, NH-37, Jalukbari, Guwahati - 781014, Assam	-Member;
7.	Shri Ratul Mahanta, Department of Economics Gauhati University, Guwahati - 781014, Assam	-Member;
8.	Prof. Kaushal Kumar Baruah, Department of Environmental Science, Tezpur (Central) University, Tezpur - 784028, Assam	-Member;
9.	Member Secretary, State Pollution Control Board, Assam	-Secretary.

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Assam shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Assam and State Level Expert Appraisal Committee, Assam and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Assam and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall be paid as per the rules of the State Government of Assam.

[F. No. J-11013/3/2007-IA-II(I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.24 20:08:24 +05'30'